

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/307

दिनांक: 8/1/2025


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम अलवर की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	अलवर	अलवर	ग्राम पंचायत नंगला रायसिस का राजस्व ग्राम नंगला समवादी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत दिवाकरी का राजस्व ग्राम दिवाकरी ग्राम पंचायत बेलाका का राजस्व ग्राम बेलाका, व बेरका का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत भाखेड़ा का राजस्व ग्राम लिवारी, भाखेड़ा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-21,815)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कुमार कौशल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प 10(न.पा.)(गठन)(ब.घो.)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/308-340 दिनांक: 8/1/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर निगम अलवर में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त ~~अलवर~~। जयपुर
10. जिला कलेक्टर अलवर को भेजकर निवेदन है कि नगर निगम अलवर की सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. आयुक्त, नगर निगम, अलवर।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एवं वार्ड पंच संबंधित ग्राम पंचायत नंगला रायसिस का राजस्व ग्राम नंगला समवादी, ग्राम पंचायत दिवाकरी, ग्राम पंचायत बेलाका का राजस्व ग्राम बेलाका, व बेरका, ग्राम पंचायत भाखेड़ा का राजस्व ग्राम लिवारी व भाखेड़ा जिला अलवर।
18. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव